



सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड देहरादून
फोन नम्बर-0135-2675780, फैक्स-2675779,
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.gov.in>

पत्रांक: /उ.सू.आ./ / 2018-19 दिनांक 22.03.2019

कार्यालय आदेश

अपरिहार्य कारणों से मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल महोदय की पीठ में दिनांक 25 03.2019 को योजित निम्न वर्णित अपीलों/शिकायतों पर तिथि निम्नानुसार परिवर्तित की जाती है:-

क्र. सं.	वाद संख्या	अपीलकर्ता का नाम	प्रतिवादी	पूर्व निर्धारित तिथि	परिवर्तित तिथि
1	25889	श्री कृष्ण मोहन अग्रवाल	लो.सू.अ./पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण देहरादून। वि.अ.अ./पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र उ0 देहरादून।	25.03.2019	27.03.2019
2	22217	श्री चन्द्र शेखर करगेती	लो.सू.अ./जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। वि.अ.अ./मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।	25.03.2019	27.03.2019
3	22219	श्री चन्द्र शेखर करगेती	लो.सू.अ./जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार। वि.अ.अ./मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार।	25.03.2019	27.03.2019
4	22228	श्री चन्द्र शेखर करगेती	लो.सू.अ./जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार। वि.अ.अ./मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार।	25.03.2019	27.03.2019

5	22229	श्री चन्द्र शेखर करगेती	लो.सू.अ./जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार। वि.अ.अ./मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार।	25.03.2019	27.03.2019
---	-------	-------------------------	--	------------	------------

(शालिनी नेगी)

प्रभारी सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :-

1. श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव को आयोग की वैबसाइट में अपलोड करने हेतु।
2. निजी स्टाफ मा0 राज्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि सम्बन्धित वादी प्रतिवादियों को उपलब्ध दूरभाष नम्बर/ई-मेल के माध्यम से अगली सुनवाई की तिथि से अवगत कराना सुनिश्चित करें। दूरभाष नम्बर ई-मेल उपलब्ध न होने की स्थिति में डाक के माध्यम से उक्त पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

(शालिनी नेगी)

प्रभारी सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग